

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-सहायता/बाढ/बजट/20-21/2455

दिनांक: 7.9.2020

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार, जयपुर के पत्रांक भू.अ./2020/2442 दिनांक 24.8.2020 एवं उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर के पत्रांक सहायता/320/1994 दि. 27.8.2020 द्वारा प्राप्त अभिशंषा के अनुसार दि. 14.8.2020 को जिला जयपुर में हुई तेज वर्षा के फलस्वरूप हुए जलप्लावन से 6 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हो गई थी। प्रभावित शोकार्त परिवारों को तत्काल सहायता स्वीकृत करने हेतु नीचे अंकितानुसार सहायता राशि बजट सीमा के भारत सरकार के नवीन मानदण्ड दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क. सं.	मृतक का नाम व पता	बैंक खाता का विवरण			स्वीकृत राशि		
		बैंक का नाम	खाता सं.	IFSC Coad	केन्द्रीय मद 75 %	राज्य मद 25 %	कुल योग
1	श्री रामप्रताप पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, निवासी बूचिया की ढाणी, जामडोली, जयपुर के पुत्र श्री चमनलाल को	SBI	61294195918	SBIN0031803	300000	100000	400000
2	श्रीमती पारोदेवी पत्नी श्री रामप्रताप मीणा, निवासी बूचिया की ढाणी, जामडोली, जयपुर के पुत्र श्री चमनलाल को	SBI	61294195918	SBIN0031803	300000	100000	400000
3	आरव उर्फ रामकिशन पुत्र श्री रामकिशन मीणा, निवासी बूचिया की ढाणी, जामडोली, जयपुर की माता श्रीमती माया देवी को	SBI	37903918308	SBIN0008427	300000	100000	400000
4	श्री सन्नी पुत्र तेजपाल कुमावत, निवासी किशनबाग कच्ची बस्ती, विद्याधर नगर जयपुर के पिता श्री तेजपाल कुमावत को	BOB	35468100010501	BARB0SHAJAI	300000	100000	400000
5	श्री सोनू सांसी पुत्र श्री सिमुराम नि० वेलकम कॉलोनी, हसनपुरा, जयपुर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी को	RMGB	83037268415	RMGB0000402	300000	100000	400000
6	श्री समीर पुत्र मौहम्मद सलीम नि. 37, रवि बिहार-सी, मदीना नगर, खो नागोरियान, जयपुर के पिता को	ICICI	674301504012	ICIC0006743	300000	100000	400000
योग					1800000	600000	2400000

(अक्षरे रुपये चौबीस लाख मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा:-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

02-बाढ चक्रवात आदि

111-शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी

(02)-बाढ से जन हानि होने पर अनुग्रह सहायता

[01] - बाढ से जन हानि होने पर अनुग्रह सहायता

12-सहायतार्थ अनुदान

उपरोक्त सूची में क्र.सं. 1 से 4 पर अंकित मृतकों के विधिक उत्तराधिकारियों को राशि रुपये 1.00-1.00 लाख का भुगतान राज. मुख्यमंत्री अकाल एवं बाढ सहायता कोष से अग्रिम रूप से भुगतान किया जा चुका है, अतः अग्रिम भुगतान राशि को कम करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा तथा अग्रिम राशि पुनः राज. मुख्यमंत्री अकाल एवं बाढ सहायता कोष में जमा कर समायोजन किया जावेगा।

7.9.2020

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक: 7.9.2020

क्रमांक:-सम/2456-62

प्रतिलिपि:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर

2- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।

3- कोषाधिकारी जयपुर शहर

4- उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-1/सांगानेर/तहसीलदार, जयपुर/सांगानेर

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नगर-दक्षिण, जयपुर